

हर महादलित को सरकारी जमीन

■ मकान नहीं बनानेवालों को मिलेगा इंदिरा आवास भी

संवाददाता ■ पटना

चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूबे के सभी महादलित परिवारों को राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी. बुधवार को एससी/एसटी कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चालू वित्तीय वर्ष में जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने को कहा. कोई भी महादलित परिवार को जमीन से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा. जिन महादलित परिवार को जमीन आवंटित हो चुका है और उनका मकान नहीं बना है, तो उन्हें इंदिरा आवास दिया जायेगा. इंदिरा आवास बनाने के लिए विकास आयुक्त फूल सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है. कमेटी में शामिल राजस्व विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एक एक्शन प्लान तैयार कर महादलित परिवार को जमीन उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वयन करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री ने दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत 40 हजार से अधिक लाभान्वितों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है. वहीं, महादलित टोलों में तीन हजार सामुदायिक भवन का निर्माण होगा. निर्माण कार्य पूरा करने की जिम्मेवारी विकास मित्र, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी को दी गयी है. हर सामुदायिक भवन में ब्रेडा के माध्यम से सोलर लैंप लगाया जायेगा. जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त हैं, वहां एक टीवी सेट भी सरकार की ओर से लगाया जायेगा. बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास मित्रों को अब महादलित परिवारों की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को छोड़ कोई काम नहीं दिया जाये. सूबे के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है. विकास मित्रों को सरकार चेंज एजेंट के तौर पर काम लेगी. मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि वे हर महादलित टोले में फलदार वृक्ष लगाने की व्यवस्था करें. दो सौ फलदार वृक्ष लगाने पर एक मानक दिवस के रूप

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा



► केवल महादलित परिवार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे विकास मित्र

ये भी दिये निर्देश

- महादलित टोले में फलदार वृक्ष लगाने की व्यवस्था करें, तीन साल के बाद एक महादलित परिवार को 20 फलदार वृक्ष का पट्टा दिया जायेगा
- चालू वित्तीय वर्ष में 15 लाख 20 हजार लोगों को रेडियो दिया जायेगा
- एससी/एसटी विद्यालयों में जूडो-कराटे का प्रशिक्षण शुरू करने को कहा

में मनाया जायेगा. इसमें चार महादलित परिवार को शामिल किया जायेगा. तीन साल तक परिवार फलदार वृक्ष की देखभाल करेंगे. तीन साल के बाद एक महादलित परिवार को 20 फलदार वृक्ष का पट्टा दिया जायेगा. पट्टे के तहत महादलित परिवार को फल खाने की आजादी रहेगी. अगर शीशम, सखुआ या अन्य लकड़ी का पेड़ होगा, तो 20 साल के बाद पेड़ के सूख जाने पर लकड़ी पर मालिकाना हक महादलित परिवार का ही होगा. मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15 लाख 20 हजार लोगों को रेडियो दिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने सभी एससी/एसटी विद्यालयों में जूडो-कराटे का प्रशिक्षण शुरू करने को कहा. बैठक में मंत्री जीतन राम मांझी, विकास आयुक्त फूल सिंह, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डॉ सी अशोक वर्धन, सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, सचिव अतीश चंद्रा, एससी-एसटी विभाग के सचिव एसएम राजू थे.